लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2350

जिसका उत्तर बुधवार, 21 दिसंबर, 2022 को दिया जाएगा

मूल्य निर्धारण केंद्रों की स्थापना

2350. श्रीमती जसकौर मीना:
श्री अनिल फिरोजिया:
डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:
श्री पी. रविन्द्रनाथ:
श्री कृपानाथ मल्लाह:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश भर में मूल्य निगरानी केंद्र स्थापित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके लिए अनुमानित राशि का ब्यौरा क्या है और देश में उन राज्यों की राज्य और जिला-वार संख्या कितनी है जहां ये केंद्र स्थापित किए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का इन केन्द्रों को राजस्थान और असम में भी स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है और इन केंद्रों के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ख): उपभोक्ता मामले विभाग देश भर में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केन्द्रीय सहायता से स्थापित 395 मूल्य रिर्पोटिंग केन्द्रों (पीएमसी) के माध्यम से 22 वस्तुओं की दैनिक खुदरा और थोक मूल्यों की निगरानी करता है। विभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्येक जिले में मूल्य रिपोर्टिंग केन्द्र की स्थापना करने का अनुरोध किया है। मूल्य रिपोर्टिंग केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ) को 24,000 रुपये प्रति माह की पारिश्रमिक, दो वर्ष में स्मार्ट फोन के लिए 10,000 रुपये, और सिम कार्ड/डाटा कार्ड के लिए 6,000 रुपये प्रति वर्ष शामिल है। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण कार्यशाला के लिए 1 लाख रुपये प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं।

(ग) से (घ): असम और राजस्थान सहित राज्य-वार और जिला-वार मूल्य रिपोर्टिंग केन्द्रों का विवरण **अनुलग्नक** पर है।

(ड.): उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान के अंतर्गत, उपभोक्ता, अपनाई गई किसी भी अनुचित / प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं सहित खरीदी गई वस्तु में दोष या प्राप्त की गई सेवा में कमी के विरूद्ध, जिला स्तर (जिला आयोग), राज्य स्तर (राज्य आयोग) और राष्ट्रीय स्तर (राष्ट्रीय आयोग) पर स्थापित उपभोक्ता आयोग नामक विशेष अर्धन्यायिक एजेंसियों के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है। कानून के तहत, इन उपभोक्ता आयोगों को उपभोक्ता शिकायतों का सरल, किफायती और त्वरित निर्णय प्रदान करने के लिए अधिदेश दिया गया है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जो 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ है, उपभोक्ता आयोगों में अधिनिर्णयन प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए कई उपाय प्रदान करता है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में (edaakhil.nic.in) शिकायत दर्ज करना और रिकार्ड के सापेक्ष स्पष्ट त्रुटि के मामले में उपभोक्ता आयोग द्वारा अपने आदेशों की समीक्षा करना, सुनवाई के लिए विडियो कांफ्रेंसिंग का प्रावधान करना, 21 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वीकार नहीं किए जाने पर शिकायतों की स्वतः स्वीकार्यता इत्यादि। शिकायतों के शीघ्र निपटान की सुविधा के लिए न्यायालय ने संलग्न मध्यस्थता का भी प्रावधान किया गया है।

विधायी उपायों के अलावा, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) की स्थापना की गई है, जो उपभोक्ता शिकायतों को संभालने के लिए टोल-फ्री नम्बर 1800-11-4000 या 14404 या 1915 के साथ मुकदमा पूर्व वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में कार्य करती है।

इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता मामले विभाग ने “जागो ग्राहक जागो” अभियान के तत्वावधान में विभागीय वेबसाइट, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों, टीवी, रेडियो, सामान्य सेवा केन्द्रों, आईआरसीटीसी आदि के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता सृजन कर रहा है। उपभोक्ता जागरूकता सृजन करने के इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर इन मुद्दों पर नियमित संदेश भी पोस्ट किए जा रहे हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में उपभोक्ता जागरूकता का प्रसार करने में शामिल किया गया है।

******

अनुलग्नक- I

"मूल्य निर्धारण केंद्रों की स्थापना" के संबंध में दिनांक 21.12.2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2350 के उत्तर के भाग (ग) से (घ) में उल्लिखित अनुलग्नक

--- ---

राज्य	**केंद्रों की संख्या**	**उन जिलों के नाम जिनमें मूल्य रिपोर्टिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं।**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3	निकोबार, उत्तर और मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान,
आंध्र प्रदेश	7	कृष्णा, कुरनूल, प्रकाशम, श्री सत्य साईं, तिरुपति, विशाखापत्तनम, वाईएसआर (कडपा),
अरुणाचल प्रदेश	4	पूर्वी सियांग, नामसाई, पापुम पारे, तवांग,
असम	12	बजाली, बक्सा, बारपेटा, दर्रंग, धुबरी, गोआलपारा, गोलाघाट, होजाई, जोरहाट, कामरूप मेट्रो, तिनसुकिया, उदलगुरी,
बिहार	38	अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर (भभुआ), कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पश्चिम चंपारण, पटना, पूरबी चंपारण, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, वैशाली,
चंडीगढ़	1	चंडीगढ़
छत्तीसगढ़	9	बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, कोरिया, रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा,
दिल्ली	1	मध्य दिल्ली
गोवा	2	उत्तरी गोवा, दक्षिण गोवा
गुजरात	12	अहमदाबाद, भरूच, छोटाउदेपुर, डांग, दोहद, कच्छ, नवसारी, राजकोट, सबर कांथा, सूरत, तापी, वलसाड,
हरियाणा	4	गुरुग्राम, हिसार, करनाल, पंचकुला
हिमाचल प्रदेश	12	बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहुल और स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना,
जम्मू और कश्मीर	4	जम्मू, कुपवाड़ा, पुंछ, श्रीनगर
झारखंड	15	बोकारो, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, गुमला, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, रांची, साहेबगंज, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम,
कर्नाटक	23	बागलकोट, बल्लारी, बेलगावी, बेंगलुरु शहरी (2 केंद्र), बीदर, चामराजनगर, चिक्कमगलुरु, दक्षिण कन्नड़, दावणगेरे, धारवाड़, हावेरी, कालाबुरागी, कोलार, कोप्पल, मांड्या, मैसूर, रायचूर, रामनगर, शिवमोग्गा, तुमकुरु, विजयपुरा, यादगीर,
केरल	14	अलाप्पुझा, एर्नाकुलम, इडुक्की, कन्नूर, कासरगोड, कोल्लम, कोट्टायम, कोझिकोड, मलप्पुरम, पलक्कड़, पठानमथिट्टा, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, वायनाड,
मध्य प्रदेश	32	आगर मालवा, अनूपपुर, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, देवास, धार, पूर्वी

		निमाड़, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खरगोन, मंडला, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, रायसेन, राजगढ़, रीवा, सागर, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, सीधी, सिंगरौली, उज्जैन, उमरिया,
महाराष्ट्र	16	अहमदनगर, अमरावती, औरंगाबाद, चंद्रपुर, जालना, लातूर, मुंबई, नागपुर, नासिक, पुणे, रायगढ़, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, यवतमाल,
मणिपुर	1	इंफाल पूर्व
मेघालय	9	ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स, ईस्ट गारो हिल्स, ईस्ट जयंतिया हिल्स, ईस्ट खासी हिल्स (2 केंद्र), री भोई, पश्चिम गारो हिल्स, पश्चिम जयंतिया हिल्स, पश्चिम खासी हिल्स,
मिजोरम	8	आइजोल, चम्फाई, कोलासिब, लॉन्गतलाई, लुंगलेई, ममित, सियाहा, सेरछिप,
नागालैंड	15	चुमौकेदिमा जिला, दीमापुर जिला, किफिर जिला, कोहिमा जिला, लोंगलेंग जिला, मोकोकचुंग जिला, मोन जिला, निउलैंड जिला, पेरेन जिला, फेक जिला, शामतोर जिला, त्सेमिन्यु जिला, त्युएनसांग जिला, वोखा जिला, जुन्हेबोटो जिला,
ओडिशा	9	बलांगीर, बालेश्वर, कटक, गंजम, खोरधा, कोरापुट, मयूरभंज, संबलपुर, सुंदरगढ़,
पुडुचेरी	1	पॉन्डचेरी
पंजाब	8	अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, होशियारपुर, लुधियाना, मनसा, श्री मुक्तसर साहिब,
राजस्थान	31	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, धोलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर,
सिक्किम	4	गंगटोक, ग्यालशिंग, नामची, सोरेंग
तमिलनाडु	9	चेन्नई, कोयम्बटूर, कुड्डालोर, धर्मपुरी, डिंडीगुल, रामनाथपुरम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, वेल्लोर,
तेलंगाना	10	आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, मेडचल मलकजगिरी, निजामाबाद, संगारेड्डी, सूर्यपेट, वारंगल,
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3	दादरा और नगर हवेली, दमन, दीव
त्रिपुरा	4	गोमती, उत्तर त्रिपुरा, दक्षिण त्रिपुरा, पश्चिम त्रिपुरा
उत्तराखंड	4	देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नाहर
उत्तर प्रदेश	63	आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गाजियाबाद गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशांबी, खीरी, कुशी नगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत। प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहाँपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी,
पश्चिम बंगाल	7	बीरभूम, दार्जिलिंग, दिनाजपुर उत्तर, कोलकाता, मालदाह, मेदिनीपुर पश्चिम, पुरुलिया,

कुल	**395**	